



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

संचिका संख्या :- BN/MARK/SEEDS PROMOTION/23/2021

विषय :- निगम के बीजों का विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार के संबंध में।

आदेशानुसार,
Cauliflower & Chilli के Promotion का कार्य What's APP के माध्यम से दिया गया था।

जिसके Design की Softcopy तैयार की जा चुकी है। उपर्युक्त विषय के अनुमति की अपेक्षा के साथ कार्य का विवरण:-

- > Sms Publicity हेतु Quotes लिखा गया है, जिसकी समीक्षा की जानी है। तदुपरान्त इसे कृषि विभाग के Database के माध्यम से सभी किसानों के मोबाईल न0 पर SMS के द्वारा सब्जी उत्पादन की नई पहल के बारे में जानकारी दी जानी है।
- > Whats App पर प्रमोशन के लिए पोस्टर तैयार किया गया है जो सभी BRBN Whats App Group के माध्यम से किसानों को पहुँचाने की कोशिश की जायेगी तथा डीलर के माध्यम से किसानों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जायेगी।
- > Website Advertisement के लिए पोस्टर की सॉफ्टकॉपी के माध्यम से BRBN के होम पेज पर की जानी है, जिससे उन सभी Users को जानकारी दी जा सके जो BRBN Portal के माध्यम से बीज का आवेदन देते हैं अथवा जिनके द्वारा BRBN Website पर पहुँच बनाने की कोशिश की गयी हो।
- > बिहार राज्य बीज निगम लि0 द्वारा सब्जी बीज उत्पादन के क्षेत्रों में पदार्पण के संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार, विकास आयुक्त, बिहार, सचिव कृषि, बिहार, सभी जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक (शष्प) प्रमण्डलीय, सहायक कृषि (उद्यान), मुख्यालय स्तर के सभी पदाधिकारी, निदेशक (उद्यान), प्रबंध निदेशक (Comfed), प्रबंध निदेशक (Vegfed), निदेशक (BASOCA), सभी निदेशक पर्वद के सदस्य, उप कुलपति (RAU), कुलपति (BAU), निदेशक (ICAR) को प्रबंध निदेशक के द्वारा पत्र के साथ बीज का पैकेट कोरियर के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया गया है।

उपर्युक्त विषय की अनुमति प्रबंध निदेशक महोदय से अपेक्षित है।

अनुजाराय
21-06-2021

(अनुजाराय)

क्षेत्र पदाधिकारी

विपणन/प्रमुख

रूपमा उपरोक्त तिथिणी

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सब्जी बीज के क्षेत्र में पदार्पण किया गया है। निगम के इस पहल के लोगों के बीच popularise करने हेतु विभिन्न

इन्हें पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है।
यार पृष्ठ पर विभिन्न स्तरों पर प्रचार का प्रस्ताव दिया गया
है जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

~~प्रबन्ध निदेशक~~

Prerna
27/6/2021

संशोधनो सुस्ति यत्र

28-06